सत्यमेव जयते

नगर पालिका मण्डल लोसल जिला–सीकर

पट्टा–विलेख

(शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आंवटन) नियम–2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

पत्रावली क्रमांकः– 744 पट्टा नं.–1057/2025

पट्टा धारक का नाम– सरदार पटेल शैक्षणिक एवं ग्रामीण विकास संस्थान जरिये सचिव डॉ अरविन्द भूकर

भूखण्ड खसरा न.2089/1626 क्षेत्रफल 2135.82 वर्ग मीटर

योजना वार्ड नम्बर 35, धोद रोड़, लोसल, जिला–सीकर में स्थित है।

नगर पालिका मण्डल लोसल (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 22/01/2025 को निष्पादित किया जाता है।

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राषि जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।

   अथवा

   पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि..............................प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राषि 15 वर्ष के पष्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
2. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षैत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिष्चित की जावें।
3. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप–पट्टे (सब–लीज) पर भी दे सकेगा। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नही होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निहित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होगे।
4. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टा धारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राषि देय नहीं होगी।
5. पट्टा विलेख को केंद्र/राज्य सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
6. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों के तहत करना होंगा।
7. पट्टाकर्ता (नगर पालिका मण्डल लोसल) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू–उपयोग परिवर्तन/विकय नही किया जा सकेगा।

अध्यक्ष
नगर पालिका मण्डल लोसल सीकर

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका मण्डल लोसल सीकर

8. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।

9. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि पट्टेदार द्वारा कपटपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर अथवा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा नगर पालिका मण्डल लोसल द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

10. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।

11. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया हैं, इनके सभी प्रावधान व शर्ते लागू होगी जिनकी पालना नही करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

12. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

13. उक्त पट्टा जिस भूखण्ड पर दिया गया है स्वामित्व के लिए है। मौके पर यदि कोई अनाधिकृत निर्माण है तो पट्टा ऐसे निर्माण का नियमितिकरण नहीं माना जायेगा।

नोट :-आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 8 लागू नही होगी।

भूखण्ड का विवरण

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

उत्तर:- रास्ता दक्षिण:-तिलोक चन्द

पूर्व:-स्वयं पश्चिम:- तिलोक चन्द व रामचन्द

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

साईट प्लान

संलग्न बल्यू प्रिन्ट

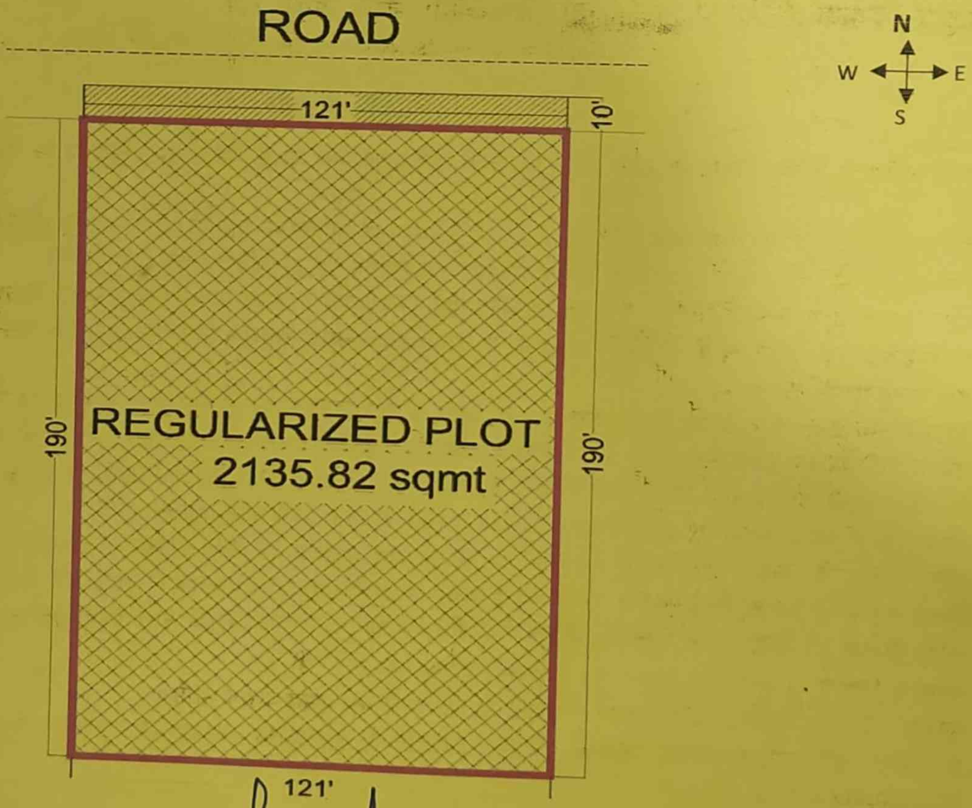

वरिष्ठ प्रारूपकार
नगर पालिका मण्डल लोसल सीकर

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका मण्डल लोसल सीकर

अध्यक्ष
नगर पालिका मण्डल लोसल सीकर